डॉ0 एन0 सरवण कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.13 को विद्युत विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति –

1. जिला पदाधिकारी, पटना।
2. उप विकास आयुक्त, पटना।
3. वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा, पटना।
4. वरीय उप समाहर्ता –सह–विद्युत निलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
5. विद्युत अधीक्षण अभियंता, पेसू पूर्वी, पटना।
6. विद्युत अधीक्षण अभियंता, पेसू पश्चिमी, पटना।
7. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, राजेन्द्रनगर।
8. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला, पटना
9. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नूतन राजधानी, पटना।
10. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गर्दनीबाग, पटना।
11. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दानापुर।
12. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना।
13. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कंकड़बाग, पटना।
14. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पटना सिटी।
15. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पाटलीपुत्रा, पटना।

समीक्षा के बिन्दु :–

1) बिजली की औसत उपलब्धता,
2) खराब ट्रॉसफॉर्मर की स्थिति,
3) नये कनेक्शन एवं मिटरींग की स्थिति,
4) विद्युत की आपूर्ति एवं राजस्व प्राप्ति,
5) विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी विद्युत अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1) बिजली की औसत उपलब्धता :-

बिजली की औसत उपलब्धता के बिन्दु पर समीक्षोपरान्त बैठक में उपस्थित सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पहले के अपेक्षा वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षित सुधार हुआ है। इस संबंध में संबंधित अभियंताओं के कथन पर असहमति व्यक्त करते हुए उन्हें निदेशित किया गया कि निबौध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के अभाव में जलापूर्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाये।

(अनुपालन– सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, एवं कार्यपालक अभियंता)

2) खराब ट्रॉन्सफॉर्मर की स्थिति :-

ट्रॉन्सफॉर्मर जलने एवं मेनटेंस के संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि एक –दो ट्रॉन्सफॉर्मर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे तुरन्त बदल दिया गया है। वर्तमान समय में ट्रॉन्सफॉर्मर जलने या खराब होने की शिकायत उन्हें कही से नहीं मिला है। ट्रॉन्सफॉर्मर मेनटेनेस के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि ट्रॉन्सफॉर्मर में आवश्यकतानुसार वायल की उपलब्धता एवं उससे जुड़े कनेक्शन की जॉच कर वायल की कमी एवं कनेक्शन की त्रुटियों का शीघ्र समाधान किया जा रहा है।

इस संबंध में सभी विद्युत अभियंताओं को निदेशित किया गया कि आगामी माह से आने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए ट्रॉन्सफॉर्मर पर विशेष निगरानी रखा जाय। ऐसे अवसर पर ट्रॉन्सफॉर्मर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसका निराकरण करना अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता को बताया गया कि माननीय सांसद निधि से बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बेलछी प्रखंड में 23, पंडारक प्रखड में 40, बाढ़ प्रखंड में 10, एवं घोसवरी प्रखंड में 17 कुल 90 ट्रॉन्सफॉर्मर लगाने की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त माननीय सांसद निधि से धनरूआ प्रखंड के लिए भी ट्रॉन्सफॉर्मर लगाने की अनुशंसा की गई है।। माननीय सांसद निधि से अनुशंसित सभी ट्रॉन्सफॉर्मर को शीघ्रताशीघ्र यथोचित स्थान पर स्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी कार्यपालक अभियंता)

3) नये कनेक्शन एवं मिटरींग की स्थिति :-

इस बिन्दु पर सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बताया गया कि नये कनेक्शन एवं मिटरिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है।

उल्लेखनीय है कि नये कनेक्शन एवं मिटरिंग कार्य के लिए नये उपभोक्ताओं का समय–समय पर आवेदन आ सकते है। वैसे उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन एवं मिटरिंग कार्य में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अतः सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता विशेष अभिरूची लेकर विद्युत कनेक्शन एवं मिटरिंग कार्य को प्राथमिकता देंगे।

(अनुपालन– सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता,)

4) विद्युत की आपूर्ति एवं राजस्व प्राप्ति :–

पटना परिसदन का विद्युत राशि का बकाया रहने के कारण विद्युत लाईन को विच्छेद किये जाने के बिन्दु पर संबंधित विद्युत अभियंता को निदेशित किया गया कि विद्युत लाईन विच्छेद करने के पूर्व इसकी जानकारी नजारत उप समाहर्ता, पटना को देना सुनिश्चित करेंगे। बकाया विद्युत राशि को शीघ्र जमा करने हेतु नजारत उप समाहर्ता, पटना को निदेश दिया गया।

समीक्षा के कम में पाया गया कि विद्युत राशि 42 करोड़ बकाया है, जिसके विरूद्ध मात्र 4 करोड़ रूपये कीवसूली हो पायी है, जो बहुत ही खराब स्थिति है।

इस संबंध में सभी विद्युत अभियंताओं को राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नजारत उप समाहर्ता, पटना एवं सभी कार्यपालक अभियंता)

5) विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र :–

विद्युत से संबंधित दायर नीलाम पत्र के संबंध में निर्णय लिया गया कि बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत नोटिस का तामिला संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। बड़े बकायेदारों पर नोटिस का तामिला स्थानीय थाना के माध्यम से कराया जाय। ऐसा करने से बड़े बकायेदारों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि होगी।

इस संबंध में नीलाम पत्र पदाधिकारी (विद्युत) पटना को यह भी निदेश दिया गया कि बड़े बकायेदारों से राशि वसूली में प्राथमिकता दें तथा अगली बैठक में नीलाम पत्र के माध्यम से राजस्व वसूली की प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करे।

(अनुपालन– सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी (विद्युत), पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Sd/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक:– 1856 / वि0, पटना दिनांक:– 04-10-2013

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, दक्षिणी बिहार, पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेलीरोड पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्ता, पटना एवं नीलाम पत्र पदाधिकारी (विद्युत), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Chithi 1234567 ms word 12 Manoj

कार्यालय, निलाम-पत्र शाखा
ज्ञापांक- 534 दिनांक- 19.10.13
प्रतिलिपि- श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच

(4)

इबरार अहमद खाँ, वरीय उप समाहर्त्ता, विधि शाखा।
श्री ज्योतिश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन।
श्री मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, स्थापना शाखा।
कुमारी विनीता, वरीय उप समाहर्त्ता, नजारत शाखा।
अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/दानापुर/
बाढ़ एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/13

प्रभारी पदाधिकारी
जिला नीलाम पत्र शाखा
पटना